न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर सर्किट कोर्ट
रीवा जिला रीवा (म.प्र.)

500

कोर्ट फी COURT FEE INDIA दो रुपये TWO RUPEES विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित

रामबहोरी उर्फ लाला कोरी तनय श्री रामफल कोरी उम्र 60 वर्ष पेशा– कृषि निवासी ग्राम छांदा खुर्द तहसील नौरोजाबाद जिला उमरिया (म.प्र.) ....निगरानीकर्ता/आवेदक

R5475-II/16

बनाम

सुनीता पत्नी सरदार सिंह निवासी खारा निवासी ग्राम छांदा खुर्द तहसील नौरोजाबाद जिला उमरिया (म.प्र.)

..........उत्तरदाता/अनावेदक

24.X.16

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार नौरोजाबाद जिला उमरिया के राजस्व प्र.क. 3/2010-11 आदेश दिनांक 07.10.2011 एवं अपर कलेक्टर उमरिया के रा.प्र.क. 67/निगरानी/2011 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2012

आवेदन पत्र बावत् रा.प्र.क.-2/अ/70/2016-17 न्यायालय तहसीलदार नौरोजाबाद जिला उमरिया सुनीता बनाम रामबहोरी के प्रकरण में दिनांक 14.10.2016 को जारी स्थगन आदेश निरस्त करने बावत्।

मान्यवर,

प्रार्थना पत्र के आधार निम्नलिखित हैं :-

1- यह कि आवेदक द्वारा गैर आवेदिका के पूर्व अपनी आराजी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-5475-दो/2016 जिला-उमरिया

रामबहोरी उर्फ लाला कोरी विरूद्ध सुनीता सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री गजराज सिंह उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार नौरोजाबाद, जिला-उमरिया के प्रकरण क्रमांक 03/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 07-10-2011 एवं अपर कलेक्टर उमरिया, जिला- उमरिया के प्रकरण क्रमांक- 67/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 25-09-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 24-10-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत	

पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 23/01/19
सदस्य